हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

25/02/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार बावड़ी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस एवं आदेशार्थ दिनांक 04/03/2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

04/03/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से न तो अप्रार्थीगण स्वयं एवं न ही अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार बावड़ी ने कथन किया कि अप्रार्थीगणों द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि की बिना किस्म परिवर्तन करवाये अर्थात बिना भूमि रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से पत्थर कटिंग करने का कार्य सन 2019 से किया जा रहा है। जिससे न केवल सरकार को राजस्व हानि हो रही है, कृषि भूमि भी बेकार हो रही है एवं आस-पास का वातावरण दूषित हो रहा है।

तहसीलदार बावड़ी
4/3/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:46:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बावड़ी ने निवेदन किया कि अवैध रूप से संचालित पत्थर कटिंग मशीन का विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग को निर्देशित कर आविलम्ब करवाया जावें तथा खातेदारी कोई भूमि को बिना भू० रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने पर अप्रार्थीगण की खातेदारी खारिज करके भूमि को राजकीय खाते में दर्ज करवाने का आदेश दिलावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये - तहसीलदार बावड़ी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं मौका जाँच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन, अध्ययन एवं बहस मनन के राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सेवागांव, परवार हल्का- सेवकी कलां, तहसील बावड़ी के खसरा नं. 314 रकबा 5-01 बीघा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण की खातेदारी खारिज करके उक्त कृषि भूमि को राजकीय खाते में राज० सरकार के नाम दर्ज कर राज० काश्तकारी अधि० 1955 की धारा [illegible] के अन्तर्गत पालना करें [illegible] को पालनार्थ तहरीर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:46:30 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी